

**दिल्ली विकास प्राधिकरण**  
(वित्त एवं व्यय)  
**वित्त एवं व्यय परिपत्र सं. 33 / 2016**

उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा., प्राधिकरण की संकल्प सं. 208, दिनांक 25-02-1967 द्वारा उन्हें प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित मदों के संबंध में दि.वि.प्रा. के अधिकारियों की वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन को संशोधित करते हैं:-

मद का विवरण	प्राधिकारी	मौजूदा प्रत्यायोजन	संशोधित प्रत्यायोजन
1. स्मृतिचिहनों की खरीद	उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा.	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ
	वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा.	पूर्ण शक्तियाँ दस लाख रु. तक (प्रति वर्ष)	पूर्ण शक्तियाँ तीस लाख रु. तक (प्रति वर्ष)
	प्रधान आयुक्त (कार्मिक)	पूर्ण शक्तियाँ दो लाख रु. तक (प्रति वर्ष)	पूर्ण शक्तियाँ बीस लाख रु. तक (प्रति वर्ष)
	आयुक्त (कार्मिक) एवं मुख्य लेखा अधिकारी	पूर्ण शक्तियाँ एक लाख रु. तक (प्रति वर्ष)	पूर्ण शक्तियाँ पन्द्रह लाख रु. तक (प्रति वर्ष)
2. विभिन्न समारोह, अर्थात्, क. सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए विदाई समारोह एवं संप्रत्यावर्तन पर विभाग अध्यक्षों का विदाई समारोह भोजन	उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. (मद (क) से (ड.) के संबंध में)	शून्य	पूर्ण शक्तियाँ

ख. अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस	वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा. (मद (क) से (ड.) के संबंध में)	शून्य	प्रति अवसर 5.00 लाख रू0 तक की पूर्ण शक्तियाँ, प्रति वर्ष 25.00 लाख रू. की शर्त के अधीन
ग. स्वतंत्रता दिवस समारोह	प्रधान आयुक्त (कार्मिक), दि.वि.प्रा. (मद (क) से (ड) के संबंध में)	शून्य	प्रति अवसर 2.00 लाख रू0 तक की पूर्ण शक्तियाँ, प्रति वर्ष 15.00 लाख रू. की शर्त के अधीन
घ. रक्तदान शिविर का आयोजन	आयुक्त (कार्मिक) / मुख्य लेखा अधिकारी (मद (क) से (ड) के संबंध में)	शून्य	प्रति अवसर 75,000 रू0 तक की पूर्ण शक्तियाँ, प्रति वर्ष 7.50 लाख रू. की शर्त के अधीन
इ. दि.वि.प्रा. के कर्मचारियों को बधाई देने संबंधी कोई अन्य समारोह			

2. उपर्युक्त मदों/कार्यों पर व्यय इस शर्त के अंतर्गत होगा कि व्यय पूरा करने के लिए बजट प्रावधान मौजूद हो तथा सामान्य वित्तीय नियमों, केन्द्रीय राजकोष नियमों में उल्लिखित संगत प्रावधानों और समय-समय पर जारी सरकारी आदेशों का अनुपालन हो।

(संतोष कुमार)  
मुख्य लेखा अधिकारी

सं.-एफ.ई.16(35)2009/डी.डी.ए./पार्ट/709

दिनांक:- 16-12-2016